दिनांक 12-9-21 को पेश हो।

13/9

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नस्ख से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़